अध्याय-4

लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति

अध्याय-4

लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति

संगत और विश्वसनीय सूचना के साथ एक मज़बूत आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग की समयबद्धता और गुणवत्ता सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन एवं नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी और परिचालन में हैं, तो सरकार को कार्यनीतिक योजना और निर्णय लेने के साथ-साथ अपने बुनियादी उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता करते हैं। इस अध्याय में विभागों द्वारा रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन पर चर्चा की गई है।

पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे

4.1 उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब

जीएफआर, 2017 के नियम 238 में प्रावधान है कि संबंधित संस्था या संगठन द्वारा वित्त वर्ष की समाप्ति के बारह महीनों के अंदर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति की संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा संवीक्षा की जाएगी। यदि अनुदानग्राही से निर्धारित समय के अंदर ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होता है, तो मंत्रालय या विभाग ऐसी संस्था या संगठन को सरकार से भविष्य में मिलने वाले किसी भी अनुदान, सब्सिडी या अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए काली सूची में डालने के लिए स्वतंत्र होगा।

तथापि, 31 मार्च 2023 तक जारी किए गए अनुदानों के संबंध में अनुदानग्राहियों द्वारा ₹ 3,760.84 करोड़ की कुल राशि के 1,313 उ.प्र. 31 मार्च 2024 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

उ.प्र. जमा न करने का अर्थ है कि यद्यपि व्यय तो हुआ है परंतु अनुदानग्राहियों द्वारा यह नहीं बताया गया है कि निधियां कैसे खर्च की गई थीं। इस बात का भी कोई आश्वासन नहीं है कि इन निधियों को उपलब्ध कराने के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है। यह तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब ऐसे उ.प्र. पूंजीगत व्यय के लिए प्रदत्त सहायता अनुदान (स.अ.) के प्रति लंबित हों। चूंकि उ.प्र. जमा न करने से

दुर्विनियोग का जोखिम होता है, अतः यह आवश्यक है कि रा.रा.क्षे.दि.स. को इस पहलू पर बारीकी से निगरानी करनी चाहिए और संबंधित विभागों को समय पर उचित प्रकार से उ.प्र. जमा करने के लिए उत्तरदायी बनाना चाहिए। बकाया उ.प्र. का वर्ष-वार विवरण नीचे **तालिका 4.1** में दिया गया है।

तालिका 4.1: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया उ.प्र. की संख्या	राशि
1993-94 से 2012-13	1,150	409.83
2013-14	27	0.64
2014-15	26	0.32
2015-16	06	26.13
2016-17	06	592.01
2017-18	03	65.49
2018-19	05	443.85
2019-20	02	0.02
2020-21	07	42.84
2021-22	56	278.41
2022-23	25	1,901.30
कुल	**1,313**	**3,760.84**

यह देखा जा सकता है कि ₹ 409.83 करोड़ के 1,150 उ.प्र. (कुल बकाया का 87.60 *प्रतिशत*) 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जबकि ₹ 3,351.01 करोड़ के 163 उ.प्र. (12.40 *प्रतिशत*) 2013-14 से 2022-23 तक बकाया थे।

31 मार्च 2023 तक भुगतान किए गए अनुदानों के लिए 10 प्रमुख विभागों के संबंध में बकाया उ.प्र. का विवरण **चार्ट 4.1** में दिया गया है।

चार्ट 4.1: 2022-23 तक भुगतान किए गए अनुदानों के लिए 10 प्रमुख विभागों के बकाया उ.प्र. का विवरण

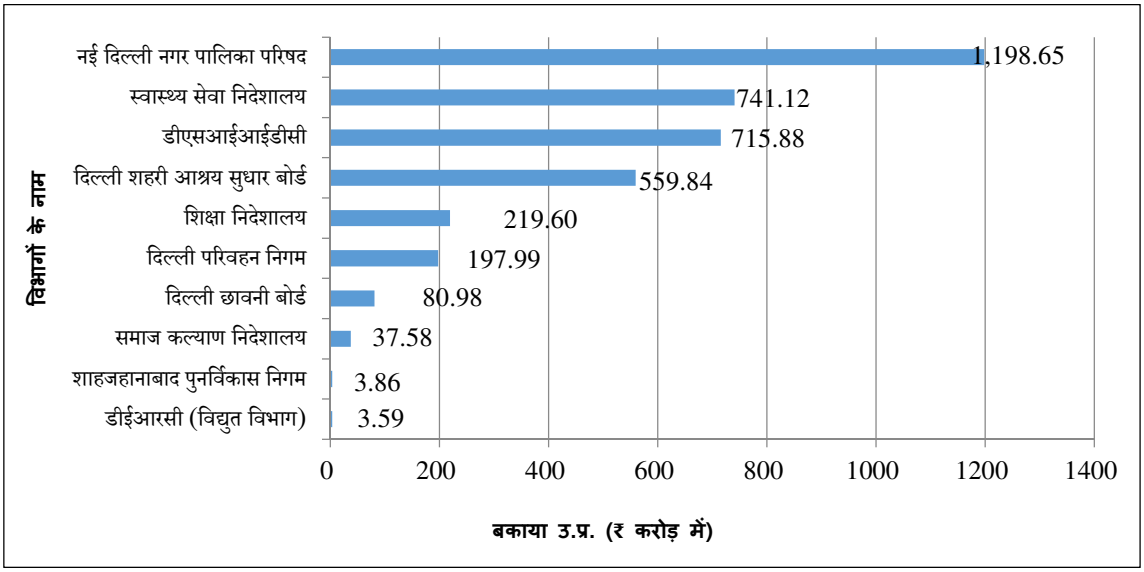

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम (डीएसआईआईडीसी) ने बकाया राशि में क्रमशः ₹ 1,198.65 करोड़ (31.87 *प्रतिशत)*, ₹ 741.12 करोड़ (19.71 *प्रतिशत*) और ₹ 715.88 करोड़ (19.04 *प्रतिशत)* का योगदान दिया।

उपर्युक्त **चार्ट 4.1** में दर्शाए गए निकायों को वर्ष 2023-24 के दौरान वितरित सहायता अनुदान निम्नानुसार है:

क्रम सं.	विभाग का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
1	दिल्ली परिवहन निगम	2,900.00
2	शिक्षा निदेशालय	2,388.55
3	स्वास्थ्य सेवा निदेशालय	1,352.25
4	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	208.78
5	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	190.05
6	विद्युत विभाग (डीईआरसी)	20.82
7	शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम (एसआरडीसी)	11.50
8	दि.रा.औ.अ.वि.नि.	10.29
9	समाज कल्याण निदेशालय	1.40

नोट: 2023-24 के दौरान दिल्ली छावनी बोर्ड को कोई सहायता अनुदान नहीं दिया गया।
स्रोत: विनियोग लेखे

उ.प्र. का लंबे समय तक लंबित रहना प्रशासनिक विभागों में ढीले वित्तीय नियंत्रण का संकेत है। इसके अतिरिक्त, सरकार की ओर से पहले के अनुदानों का उचित उपयोग

सुनिश्चित किए बिना नए अनुदान वितरित करने की प्रवृत्ति इस ढिलाई को बढ़ावा देती है। उ.प्र. के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि प्राप्तकर्ताओं ने अनुदानों का उपयोग उस अभीष्ट उद्देश्य के लिए किया था जिसके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था।

प्रधान लेखा कार्यालय ने कहा (सितंबर 2024) कि इस मामले को संबंधित विभागों को इस अनुरोध के साथ भेज दिया गया है कि जल्द से जल्द जारी किए गए सहायता अनुदान के संबंध में बकाया उ.प्र. की नवीनतम स्थिति की जानकारी दें। संबंधित विभागों के उत्तर फरवरी 2024 तक प्रतीक्षित थे। इसने यह भी कहा कि उसके पास केंद्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य योजनाओं के बीच विभाजित बकाया उ.प्र. की स्थिति की जानकारी नहीं है।

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं में निहित बकाया उ.प्र. से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए, पांच विभागों/संस्थाओं अर्थात विद्युत विभाग, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, दिल्ली परिवहन निगम, शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम को विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था।

विभागवार प्रमुख अभियुक्तियां नीचे सारणीबद्ध हैं:

विभाग/संस्थाएं	**बकाया उ.प्र.**		**फॉर्म 12ए में उ.प्र. का प्रारूप (*जीएफआर, 2017 का नियम 238*)**	**ब्याज नहीं भेजा गया *(नियम 230 (8) जी.एफ.आर.)***
	वित्त लेखे के अनुसार	**विभागीय अभिलेखों के अनुसार**		
डीईआरसी (विद्युत विभाग)	₹ 3.59 करोड़ - 2022-23[1]	• 2022-23 का अव्ययित शेष ₹ 3.59 करोड़ वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्त अनुदान के साथ उपयोग किया गया था।	• निर्धारित प्रारूप में बनाए नहीं रखा गया।	₹ 12.29 करोड़
शिक्षा निदेशालय[2] (डीओई)	₹ 219.60 करोड़-2021-22	• ₹89.98 करोड़[3]	• फॉर्म 12ए के बजाय फॉर्म 19ए में बनाए रखा गया	-
दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी)	• ₹ 344.82 करोड़-2016-17	• 2017-18 के लिए प्राप्त जीआईए के साथ ₹	• फॉर्म 12ए के बजाय फॉर्म 19ए	₹ 109.13 करोड़

[1] वह वर्ष जिससे स.अ. संबंधित है।

[2] **शिक्षा निदेशालय की कार्यान्वयन एजेंसियां** - समग्र शिक्षा, दिल्ली नगर निगम (दि.न.नि.), दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड (डीबीएसई), विशिष्ट उत्कृष्टता विद्यालय (वि.उ.वि.), दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (दि.बा.अ.सं.अ.) और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस सी ई आर टी)।

[3] एमसीडी ने पहले ही ₹ 129.62 करोड़ के उ.प्र. प्रस्तुत कर दिए हैं।

विभाग/संस्थाएं	बकाया उ.प्र.		फॉर्म 12ए में उ.प्र. का प्रारूप (*जीएफआर, 2017 का नियम 238)*	ब्याज नहीं भेजा गया *(नियम 230 (8) जी.एफ.आर.)*
	वित्त लेखे के अनुसार	विभागीय अभिलेखों के अनुसार		
	• ₹ 371.06 करोड़-2018-19	344.82 करोड़ का उपयोग किया गया था • कोई परिवर्तन नहीं	में बनाए रखा गया	
दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी)	• ₹ 197.99 करोड़-2022-23	• ₹ 391.18 करोड़-(अनंतिम उ.प्र. के अनुसार)	• उचित प्रारूप में बनाए रखा गया	₹ 15.50 करोड़
शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम (एसआरडीसी)	• ₹ 3.86 करोड़-2022-23	• ₹ 2023-24 के लिए प्राप्त जीआईए के साथ ₹ 3.86 करोड़ का उपयोग किया गया था।	• उचित प्रारूप में बनाए रखा गया	₹ 0.46 करोड़[4]

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, नमूना के लिए चयनित पांच में से 3 एजेंसियां निर्धारित प्रारूप में उ.प्र. जमा नहीं कर रही थीं, जबकि लगभग सभी मामलों में वित्त लेखे और उ.प्र. की अपेक्षा रखने वाली बकाया राशि के संबंध में संबंधित विभागों के आंकड़े भिन्न थे और इस प्रकार लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए समाधान की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, जीएफआर 2017 के नियम 230 (8) का उल्लंघन करते हुए, सभी एजेंसियां सरकारी अनुदानों पर अर्जित ब्याज को प्रतिधारित कर रही थीं और इसे राज्य की समेकित निधि में वापस नहीं भेज रही थीं।

डीटीसी ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि ब्याज से प्राप्त आय का उपयोग निगम के व्यय को निपटाने के लिए किया जाता है। डीटीसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जीएफआर, 2017 के पूर्वोक्त प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए था। एसआरडीसी ने आगे कहा (सितंबर 2024) कि ब्याज और अन्य आय से संबंधित ₹ 0.47 करोड़ की राशि शहरी विकास विभाग (डी.यू.डी.) को नियत समय में वापस कर दी जाएगी।

डीईआरसी, डीओई और डीएसआईआईडीसी के उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 2025)।

4.2 संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) बिल

संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) बिलों पर राज्य सरकार द्वारा व्यय की उन मदों पर आकस्मिक प्रभारों का आहरण किया जाता है, जिनके लिए आहरण के समय अंतिम वर्गीकरण एवं सहायक वाउचर उपलब्ध नहीं होते हैं। शुरू में अग्रिम के रूप में लिए जाते हैं, इसके बाद के समायोजन ए.सी. बिलों के आहरण की निर्धारित अवधि के अंदर

[4] ₹ 0.88 करोड़ में से ₹ 0.42 करोड़ यूडी को वापस कर दिया गया।

विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) बिल जमा कर के सुनिश्चित किए जाते हैं। डी.सी. बिलों में ए.सी. बिलों के माध्यम से आहरित राशि के लिए उप-वाउचर के साथ-साथ संक्षिप्त व्यय शामिल होता है। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को इन सभी मामलों में नियंत्रण अधिकारी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित डी.सी. बिल निर्धारित अवधि के अंदर प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 118 में प्रावधान है कि प्रत्येक ए.सी. बिल के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि भुगतान के लिए प्रस्तुत बिल के पहले के माह में अहारित किए गए ए.सी. बिलों के संदर्भ में डी.सी. बिल नियंत्रक अधिकारियों को प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रमाणपत्र के बिना किसी भी स्थिति में ए.सी. बिल को समायोजित नहीं किया जाना चाहिए।

ए.सी. बिलों के प्रति डी.सी. बिल प्रस्तुत करने में वर्ष-वार प्रगति का विवरण **तालिका 4.2** में दिया गया है:

तालिका 4.2: ए.सी. बिलों के प्रति डी.सी. बिल प्रस्तुत करने में वर्ष-वार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		वि.व. 2023-24 के दौरान समाशोधन		31 मार्च 2024 तक अंतिम शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2019-20 तक	**3,760**	**200.96**	**270**	**34.30**	**3,490**	**166.66**
2020-21	109	10.78	27	2.57	82	8.21
2021-22	199	71.89	69	34.62	130	37.26
2022-23	750	291.26	464	236.96	286	54.30
2022-23 तक	**4,818**	**574.89**	**830**	**308.46**	**3,988**	**266.43**
2023-24	2,223#	210.07	1,745	129.68	478	80.39
कुल	**7,041**	**784.96**	**2,575**	**438.14**	**4,466**	**346.82**

वर्ष 2023-24 के दौरान आहरित कुल नए बिलों को दर्शाता है।

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

तालिका 4.2 से देखा जा सकता है कि मार्च 2024 तक ₹ 346.82 करोड़ के कुल 4,466 ए.सी. बिल बकाया थे। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान यह देखा गया कि 75 सरकारी विभागों ने लेखाओं के बंद होने से पहले ₹ 80.39 करोड़ की राशि के 478 डी.सी. बिल जमा नहीं किए। इसके अतिरिक्त, 2023-24 के दौरान ₹ 210.07 करोड़ के ए.सी. बिलों में से ₹ 23.88 करोड़ (11.37 *प्रतिशत)* की राशि मार्च 2024 से संबंधित थी।

आहरित अग्रिमों को लेखाबद्ध नहीं किए जाने से अपव्यय/दुर्विनियोग/दुराचार आदि में वृद्धि की संभावना है। विभिन्न विभागों द्वारा ए.सी. बिलों के आहरण के पश्चात

निर्धारित समय के अंदर डी.सी. बिल प्रस्तुत न किए जाने के कारण, लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए उन्हें आहरित किया गया था। इसलिए, इस पर बारीकी से निगरानी रखने की आवश्यकता है। यह सिफारिश की जाती है कि प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. वित्त विभाग के साथ मिलकर लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए 2019-20 तक की अवधि के लिए बकाया ए.सी. बिलों के कारणों की जांच करें।

ए.सी. बिल के समाशोधन की प्रवृत्ति नीचे **चार्ट 4.2** में दी गई है:

चार्ट 4.2: ए.सी. बिलों के समाशोधन की प्रवृत्ति

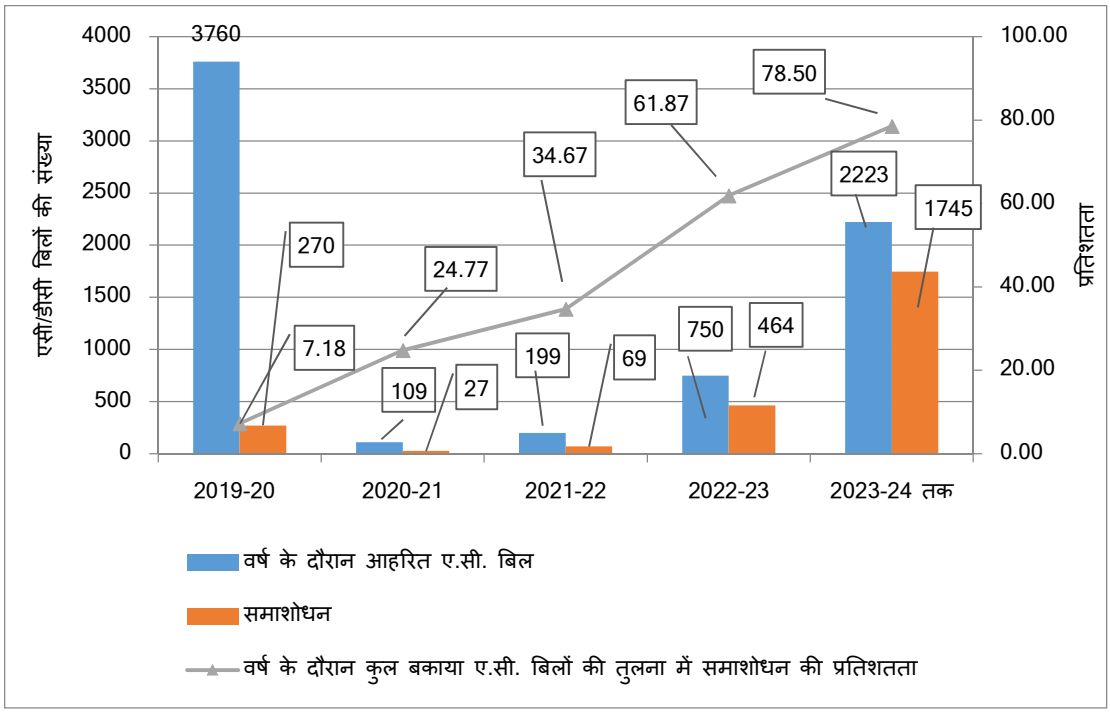

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

उपर्युक्त **चार्ट 4.2** से यह भी देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक के लिए बकाया ए.सी. बिलों के समाशोधन में 7.18 *प्रतिशत* से 78.50 *प्रतिशत* तक की वृद्धि की प्रवृत्ति थी। तथापि, 2023-24 तक बकाया ए.सी. बिलों का कुल संचित समाशोधन कुल बिलों का केवल 36.57 *प्रतिशत* था।

10 प्रमुख विभागों के संबंध में लंबित डी.सी. बिलों का विवरण **चार्ट 4.3** में दिया गया है:

चार्ट 4.3: प्रमुख विभागों के संबंध में लंबित डी.सी. बिल

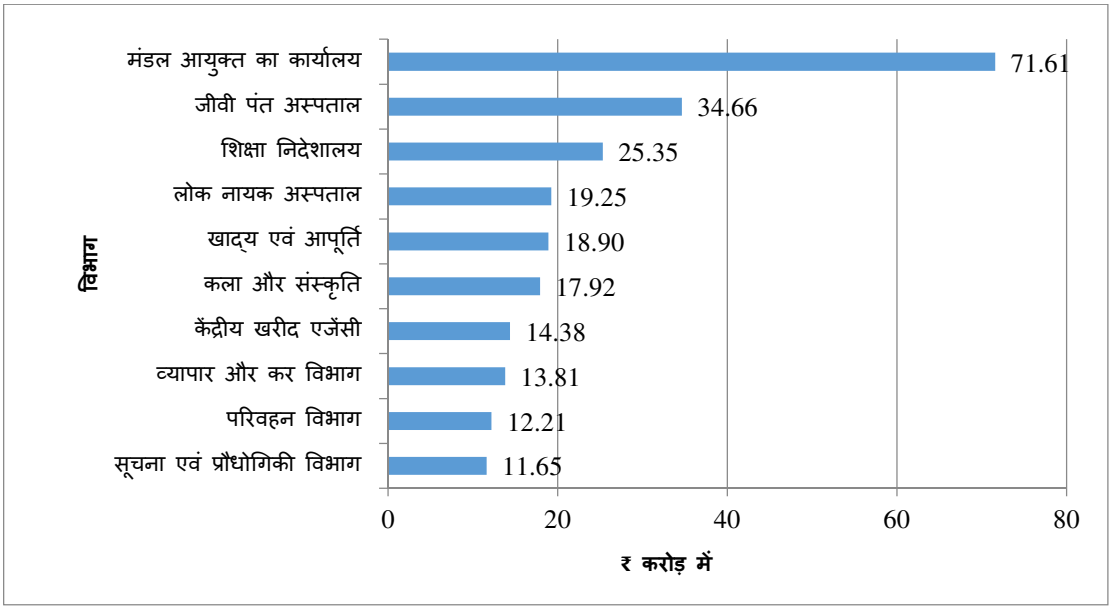

स्रोत: वित्त लेखे

पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए ए.सी. बिलों का आहरण

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 96 के अनुसार, 'आकस्मिक प्रभार' या 'आकस्मिक' व्यय से तात्पर्य है कि इसमें सभी आकस्मिक तथा अन्य व्यय (भंडार सहित) शामिल हैं, जो एक कार्यालय के रूप में कार्यालय के प्रबंधन के लिए या तकनीकी स्थापनाओं और उसके सदृश के कार्यचालन के लिए किए जाते हैं, जैसे प्रयोगशाला, कार्यशाला, औद्योगिक अधिष्ठापन, भंडार डिपो आदि परंतु उस व्यय को छोड़कर जिन्हें विशेष रूप से व्यय के कुछ अन्य शीर्ष जैसे 'निर्माण कार्य', 'उपकरण और संयंत्र' के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग और बाट एवं माप विभाग के क्रमशः ₹ 0.15 करोड़ और ₹ 0.08 करोड़ की राशि के एक-एक ए.सी. बिल पूंजीगत परिसंपत्तियों[5] के सृजन के लिए आहरित किए गए, जो उपर्युक्त नियम का उल्लंघन था। उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2025)।

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं में निहित बकाया ए.सी. बिलों से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों के सत्यापन के लिए पांच विभागों/संस्थाओं अर्थात दिल्ली अभिलेखागार, मंडल-आयुक्त (राजस्व विभाग), सचिव सह आयुक्त (खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता

[5] कारों की खरीद

मामले विभाग), गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल, केंद्रीय खरीद एजेंसी को विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। विभाग-वार मुख्य अभ्युक्तियों की चर्चा अनुवर्ती पैराओं में की गई है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां नीचे सारणीबद्ध हैं:

विभाग	**बकाया ए.सी. बिल (₹ करोड़ में)**	**डी.सी. बिल प्रस्तुत करने में विलंब की अवधि (दिनों में) संदर्भ: आर एंड पी नियमावली का नियम-118**	**प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली के नियम 110 के अंतर्गत अपेक्षित आकस्मिक व्यय रजिस्टर का अनुरक्षण**
दिल्ली अभिलेखागार	7.00	177-194 दिन **(परिशिष्ट 4.1)**	अनुरक्षित नहीं
मंडल-आयुक्त, राजस्व विभाग	71.61	116-588 दिन **(परिशिष्ट 4.2)**	अनुरक्षित नहीं
सचिव सह आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	18.90	438-1124 दिन **(परिशिष्ट 4.3)**	अनुरक्षित नहीं
गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल	34.66	59-873 दिन **(परिशिष्ट 4.4)**	अनुरक्षित नहीं
केंद्रीय खरीद एजेंसी	14.38	-	अनुरक्षित नहीं

इस प्रकार, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए ए.सी. बिलों के गलत तरीके से आहरण के अतिरिक्त, उनके प्रति डी.सी. बिलों को प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब हुआ, साथ ही आहरित ए.सी. बिलों की अपर्याप्त निगरानी भी हुई, क्योंकि यह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं था।

उपर्युक्त विभागों के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)।

4.3 व्यक्तिगत जमा खाते

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 191 (3) के साथ पठित नियम 191 में प्रावधान है कि व्यक्तिगत जमा खातों (पी.डी.ए) को खोलने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार के मामलों में विशेष आदेश के अंतर्गत संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा महालेखा नियंत्रक (म.ले.नि.) के परामर्श से अधिकृत किया जाता है:

क) वार्ड और जब्त संपदाओं और सरकारी प्रबंधन के अधीन संपदाओं द्वारा या उनकी ओर से दिए गए धन की देखरेख के प्रयोजनार्थ नियुक्त प्रशासक के पक्ष में। नियम 192(1) के अनुसार ये पीडीए सरकार के पास नहीं जाएंगे, भले ही वे तीन पूर्ण वर्षों से अधिक समय से बकाया हों;

ख) सिविल और आपराधिक न्यायालयों के संबंध में जमा राशि, संबंधित मुख्य न्यायिक प्राधिकरण के पक्ष में और ये पीडीए नियम 192(2) के अनुसार व्यपगत नहीं होंगे;

ग) जहां सरकार की कुछ विनियामक गतिविधियों के अंतर्गत प्राप्तियां वसूल की जाती हैं एवं अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी निधि या खाते में जमा की जाती हैं, जिसका उपयोग उसके अंतर्गत व्यय के लिए किया जाता है एवं इसमें समेकित निधि से कोई व्यय शामिल नहीं होता है। ये पीडीए तब तक सरकार के पास नहीं जाएंगे जब तक संबंधित अधिनियम के प्रावधान लागू रहेंगे।

प्रत्येक व्यक्तिगत जमा खाता जो खोले जाने के लिए प्राधिकृत है, सरकारी खाते का भाग होगा तथा उसके लोक लेखा भाग में स्थित होगा।

31 मार्च 2024 तक रा.रा.क्षे.दि.स. में पीडीए का विवरण **तालिका 4.3** में दिया गया है।

तालिका 4.3: 31 मार्च 2024 तक पीडीए का विवरण

01.04.2023 तक पीडीए		2023-24 के दौरान वृद्धि*		2023-24 के दौरान निकासी	31-03-2024 तक अंतिम शेष	
संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
11	28.80	शून्य	54.11	16.70	11	66.21

* इसमें मौजूदा पीडी खातों में प्राप्तियों और उनसे किए गए भुगतानों की राशि शामिल है।

रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न विभागों के प्रशासक 11 पीडीए संचालित कर रहे हैं। इन पीडीए को खोलने का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण प्राधिकरणों (डीडीए आदि) से प्राप्त मुआवज़ा जमा करना, भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों के माध्यम से भूमि अधिग्रहण के लिए भूस्वामियों को भुगतान करना, पेपर बुक-केस में जांच शुल्क, सुरक्षा शुल्क, चुनाव याचिकाओं की फीस, सिविल जमा, आपराधिक जमा और अदालत के आदेश के अनुसार वादियों का किराया आदि के भुगतान के लिए था। 31 मार्च 2024 तक इन 11 पीडीए में कुल ₹ 66.21 करोड़ जमा थे, जिसका व्यपगमन नहीं होगा और सरकारी खातों से बाहर पड़े हैं।

11 पीडीए में ₹ 66.21 करोड़ की बकाया राशि के कारण मांगे गए, जिसके प्रति विभाग (पीएओ VI) ने कहा (सितंबर 2024) कि व्यक्तिगत जमा से भुगतान अदालती मामलों के परिणाम और संबंधित किराया नियंत्रक द्वारा भुगतान जारी करने पर निर्भर करता है।

चयनित पीडी खातों का विश्लेषण

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं में निहित पीडीए से संबंधित तथ्यों एवं आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए, दो विभागों/संस्थाओं जैसे भूमि एवं भवन विभाग और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (केंद्रीय),/तीस हजारी का चयन विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए किया गया।

विभाग-वार प्रमुख अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती पैराओं में चर्चा की गई है।

4.3.1 तीस हजारी न्यायालय (केंद्रीय)

तीस हजारी न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (केंद्रीय) का कार्यालय भारतीय स्टेट बैंक में किराया नियंत्रक (केंद्रीय) के नाम से व्यक्तिगत जमा (पीडी) खाता बनाए हुए है, जिसका उद्देश्य न्यायालयीन मामलों में किराएदारों द्वारा किराया जमा करने और वितरित करने का है। पीडी खाते से संबंधित अभिलेखों/सूचनाओं की संवीक्षा से निम्नलिखित विसंगतियों का पता चला:

(क) जमा और संवितरण के लिए क्रमशः दो बैंक खाते संचालित किए जा रहे थे।

(ख) किराए से संबंधित जमाराशियों के अतिरिक्त अन्य जमाराशि निर्दिष्ट बैंक खाते में दिखाई दे रही थी।

(ग) मार्च 2024 के विभागीय मासिक समाधान विवरण के अनुसार ₹ 2.23 करोड़ का शेष वित्त लेखे 2023-24 में दर्शाए गए शेष से मेल नहीं खाता है, जो ₹ 3 करोड़ दर्शाया गया है और लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए इसके समाधान की आवश्यकता है।

(घ) नवंबर 2023 के महीने के बैंक विवरण में दोनों खातों में अंतिम शेष 'शून्य' दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2024 तक दोनों खातों में शेष राशि ₹ 4,26,476 (नामे) एवं ₹ 37,73,536 (जमा) थी, जो वित्त लेखे में दर्शाए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाती। इसे लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए समाधान करने की आवश्यकता हैं।

(ङ) इस पीडीए के लिए रोकड़ बही का रखरखाव नहीं किया गया था, जो कि प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली के नियम 13 का उल्लंघन है।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2024) कि किराया नियंत्रक से (क), (ख), (ग) और (ड.) पर उल्लिखित टिप्पणियों के लिए संपर्क किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, बिंदु (घ) पर उल्लिखित टिप्पणी भी बैंक के साथ उठाई जा रही है।

4.3.2 भूमि एवं भवन विभाग

भूमि एवं भवन विभाग (एलबीडी) भारतीय रिज़र्व बैंक में व्यक्तिगत जमा खाता (पीडीए) रखता है। एलबीडी द्वारा भूमि की आवश्यकता वाली एजेंसी से अर्जित/ अर्जित की जाने वाली भूमि के मुआवज़े के लिए प्राप्त धन इस खाते में जमा किया जाता है। यह देखा गया कि 31 मार्च 2024 तक, ₹ 23.09 करोड़ छह वर्ष से अधिक समय से वितरण के लिए लंबित है।

₹ 0.74 करोड़ का अंतर, जारी किए गए परंतु प्रस्तुत न किए गए विभिन्न चेकों तथा आरबीआई के विवरण में ₹ 1,202.80 की भिन्नता के कारण है, जिसे सुधारने के लिए विभाग ने पहले ही आरबीआई से अनुरोध किया था।

विभाग ने कहा (सितंबर 2024) कि संबंधित एलएसी/एजेंसियों से अपेक्षित सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए सच्चे प्रयास किए जा रहे हैं।

4.4 लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग

बजट और लेखांकन की पारदर्शी प्रणाली के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में, सरकार की प्राप्तियों और व्यय को विधानमंडल को रिपोर्ट करने वाले खातों के प्रारूपों की लगातार समीक्षा की जानी चाहिए और उसे अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि वे सभी महत्वपूर्ण हितधारकों की आधारभूत सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारदर्शी तरीके से सरकार की सभी प्रमुख गतिविधियों पर प्राप्तियों और व्यय को सही ढंग से प्रतिबिंबित करे। इस उद्देश्य के लिए, 'अन्य प्राप्तियों' और 'अन्य व्यय' से संबंधित लघु शीर्ष-'800' को केवल तभी संचालित करना अपेक्षित है जब खातों में उपयुक्त लघु शीर्ष का प्रावधान नहीं किया गया हो। बहुप्रयोजन लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बड़ी राशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है और आबंटित प्राथमिकताओं के उचित विश्लेषण और व्यय की गुणवत्ता को विकृत करता है।

i) 2023-24 के दौरान, ₹ 56,797.79 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों में से ₹ 647.25 करोड़ की प्राप्तियों को लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, जो कुल राजस्व प्राप्तियों का 1.14 *प्रतिशत* था। 2023-24 के दौरान लघु

शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज की गई महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्तियां नीचे **तालिका 4.4** में दी गई हैं:

तालिका 4.4: लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

क्रम.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुकिंग	कुल प्राप्तियां	प्राप्ति की प्रतिशतता
1.	0210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	88.64	110.94	79.89
2.	0701 - मध्यम सिंचाई	30.96	30.96	100.00
3.	0801- पावर	59.24	59.24	100.00
	कुल	**178.84**	**201.14**	

ii) 2023-24 के दौरान, ₹ 60,830.18 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 6,630.70 करोड़ का व्यय लघु लेखा शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, जो कुल व्यय का 10.90 *प्रतिशत* था। 2023-24 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज किए गए महत्वपूर्ण व्यय नीचे **तालिका 4.5** में दिए गए हैं:

तालिका 4.5: लघु शीर्ष - '800 अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज महत्वपूर्ण व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 'अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज व्यय	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	कुल व्यय की तुलना में लघु शीर्ष-800 में व्यय की प्रतिशतता
1.	2211-परिवार कल्याण	97.09	107.17	90.59
2.	2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	467.26	1,828.47	25.55
3.	2801-पावर	3,270.21	3,270.21	100.00
4.	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	79.57	80.38	98.99
कुल		**3,914.13**	**5,286.23**	

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने मई 2016 में दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया था कि लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' का उपयोग जहां भी तत्काल आवश्यक हो और तुलनात्मक रूप से कम राशि के लिए हो (उदाहरणार्थ मुख्य शीर्ष प्रावधान का 5-10 *प्रतिशत)* अस्थायी होना चाहिए।

तथापि, उपर्युक्त **तालिका 4.5** से यह देखा जा सकता है कि चार मामलों में, संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय का 50 *प्रतिशत* या उससे अधिक व्यय, सीजीए के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

इसके अतिरिक्त, नीचे **चार्ट 4.4** से यह देखा जा सकता है कि 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज व्यय की प्रतिशतता 10.09 *प्रतिशत* (2021-22) से 12.61 *प्रतिशत* (2020-21) तक थी।

चार्ट 4.4: 2019-2024 के दौरान लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' का संचालन

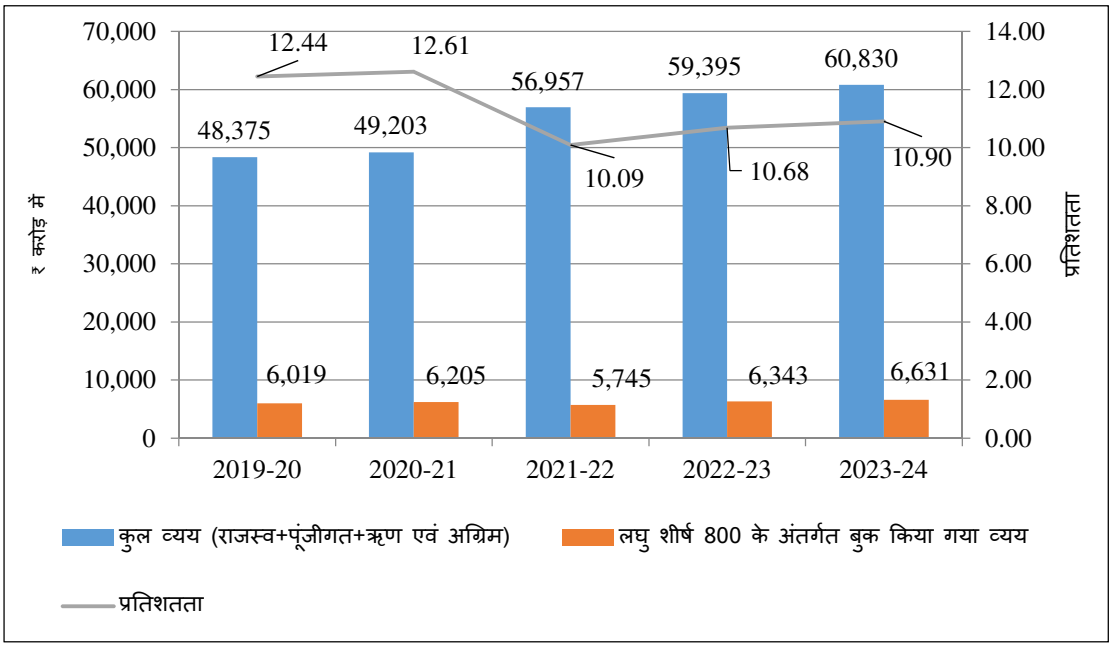

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

इस प्रकार, जबकि लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुकिंग 2021-22 के दौरान कम हो गई थी, उसके बाद लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति रही है।

4.5 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

नि.म.ले.प. (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और 20 के अंतर्गत 16 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. को सौंपी गई है।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय में 2023-24 तक देय 15 निकायों/ प्राधिकरणों के वार्षिक लेखे सितंबर 2024 तक प्राप्त नहीं हुए थे। **परिशिष्ट 4.5** से देखा जा सकता है कि 15 निकायों/प्राधिकरणों के वर्ष 2023-24 तक के 32 वार्षिक लेखे 30 सितंबर 2024 तक लंबित थे।

वार्षिक लेखाओं को समय से अंतिम रूप न दिए जाने के कारण सरकार का निवेश लेखापरीक्षा/राज्य विधानमंडल की संवीक्षा से बाहर रहता है। इसके परिणामस्वरूप, जवाबदेही सुनिश्चित करने और दक्षता में सुधार लाने के लिए, यदि आवश्यक हो तो, सुधारात्मक उपाय समय पर नहीं किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलंब होने से धोखाधड़ी और लोक धन के रिसाव का जोखिम बढ़ जाता है।

सरकार निकायों/प्राधिकरणों द्वारा वार्षिक लेखाओं के संकलन और प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए एक प्रणाली पर विचार कर सकती है।

4.6 वित्त लेखाओं के विवरणों में अन्य अशुद्धियां

i) ऋणों एवं अग्रिमों का ऋणात्मक/प्रतिकूल शेष

वर्ष 2023-24 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि विवरण संख्या 16 (रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरण-2023-24 के वित्त लेखे) में ऋणों एवं अग्रिमों के ऋणात्मक/ प्रतिकूल शेष थे। ऋणात्मक/प्रतिकूल शेषों का विवरण नीचे **तालिका 4.6** में दिया गया है।

तालिका 4.6: ऋणात्मक/प्रतिकूल शेष

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	लघु शीर्ष	31.03.2023 तक शेष
1	6401	फसल कृषि के लिए ऋण	105-खाद एवं उर्वरक	(-)0.90
2	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	201-गृह निर्माण अग्रिम	(-)5.68
3	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	202-मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	(-)2.53
4	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	203-अन्य वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	(-)0.29
5	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	204-कंप्यूटर खरीद हेतु अग्रिम	(-)1.35

मुख्य शीर्ष '6401-फसल कृषि के लिए ऋण' के संबंध में, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने पिछले वर्ष के उत्तर को दोहराया (सितंबर 2024) कि वित्त लेखाओं में दर्शाई गई ऋणात्मक राशि पुरानी अवधि से संबंधित थी और इसमें शामिल संबंधित पी.ए.ओ. को गलत वर्गीकरण का पता लगाने और उसे उचित लेखा शीर्ष में दर्ज करने की सलाह दी जा रही थी।

मुख्य शीर्ष '7610-ऋण एवं अग्रिम' के संबंध में, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने पिछले वर्ष के उत्तर को दोहराया (सितंबर 2024) कि प्रतिकूल शेष मूल राशि में ब्याज राशि की गलत बुकिंग के कारण थे और अगले वित्त वर्ष में इसमें उचित सुधार के लिए पीएओ के साथ इसकी समीक्षा की जाएगी।

उपर्युक्त उत्तर स्थिति में कोई सुधार नहीं होने का संकेत देते हैं तथा स्थिति को स्पष्ट करने एवं सुधारने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रयासों की कमी को भी उजागर करते हैं।

ii) बकाया ऋण एवं अग्रिम

संवीक्षा से पता चला कि 31 मार्च 2024 तक 18 संस्थाओं से ₹ 1,76,995.40 करोड़ के ऋण बकाया थे, जिनके बकाया रहने की अवधि 5 वर्ष से 73 वर्ष तक थी, जैसा कि **परिशिष्ट 4.6** में वर्णित है।

परिशिष्ट 4.6 की क्रम सं. 6 में दर्शाई गई स्थिति के संबंध में, डीएससीएससीएल ने सूचित किया (अक्टूबर 2024) कि ऋण और अर्जित ब्याज की माफी के लिए वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. को सिफारिश भेज दी गई थी।

इसके अतिरिक्त, **परिशिष्ट 4.6** की क्रम सं. 18 में दर्शाई गई स्थिति के संबंध में, आईआईआईटी ने कहा (अक्टूबर 2024) कि ऋण के पुनर्भुगतान का कार्यक्रम पहले ही दिसंबर 2023 में प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय (डीटीटीई), रा.रा.क्षे.दि.स. को भेज दिया गया था, जो विचाराधीन था।

शेष विभागों से उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी, 2025)।

यही मुद्दा पहले के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी उठाया गया है, तथापि अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है तथा सरकार के उत्तर भी औपचारिक हैं।

iii) विवरण संख्या 11 में दर्शाई गई निवेश की संचयी राशि विवरण संख्या 12 में दर्शाए गए कुल निवेश से मेल नहीं खाती है

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे के विवरण सं. 11 और विवरण सं. 12 से पता चला कि विवरण सं 11 और 12 में दिखाए गए निवेशों में ₹ 289.24 करोड़ का अंतर है, जैसा कि **परिशिष्ट 4.7** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने तथ्यों को स्वीकार किया (सितंबर 2024) और अंतर के विभिन्न कारणों से अवगत कराया। तथापि, सुधारात्मक कार्रवाई के लिए कदम नहीं बताए गए।

चूंकि पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इस ओर ध्यान दिलाया गया था, इसलिए अनुरोध है कि लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए ठोस सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

iv) वर्ष 2023-24 के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखाओं के विवरण में अन्य विसंगतियां/अशुद्धियां

वर्ष 2023-24 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं के विभिन्न विवरणों में निम्नलिखित विसंगतियां/अशुद्धियां देखी गईं-

क) **वित्त लेखे के विवरण 11 एवं 12 में दर्ज निवेश आंकड़ों में विसंगति** -

विवरण सं. 12 के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार द्वारा ₹ 38,33,100 हज़ार का निवेश किया गया है, जबकि विवरण संख्या 11 में दर्ज निवेश ₹ 38,33,525 हज़ार है, जो कि '5055.00.190' शीर्ष के अंतर्गत है। इसके अतिरिक्त, वर्गीकृत सार की संवीक्षा से पता चला कि डीटीसी और क्लस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए ₹ 425 हज़ार की राशि खर्च की गई थी, जिसे पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया जाना था। इसके विपरीत, इसे गलत तरीके से '5055.00.190.78.00.54' शीर्ष के अंतर्गत निवेश के रूप में दर्ज किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (सितंबर 2024) कि मामला संबंधित विभाग को भेज दिया गया है, अगला उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी, 2025)।

ख) **1998-99 से बकाया ऋण होने के बावजूद संस्थाओं को नए ऋण का वितरण**

वर्ष 2023-24 के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखाओं (विवरण सं. 16 की धारा 3 और वर्ष के दौरान दिए गए नए ऋणों और अग्रिमों के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण) की संवीक्षा से पता चला कि दिल्ली जल बोर्ड और डीयूएसआईबी द्वारा पहले के ऋणों की चुकौती न करने के बावजूद, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा इन संस्थाओं को ₹ 2,844.44 करोड़ के नए ऋण वितरित किए गए, जैसा कि **तालिका 4.7** में वर्णित है।

तालिका 4.7: चूककर्ता ऋणी संस्थाओं को नए ऋणों का वितरण

ऋणी संस्था	मार्च 2024 तक बकाया राशि (₹ करोड़ में)		वह प्रारंभिक अवधि जिससे बकाया संबंधित है	2023-24 के दौरान दिया गया नया ऋण (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2024 तक कुल बकाया ऋण (ब्याज को छोड़कर) (₹ करोड़ में)
	मूलधन	ब्याज			
दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)	37,366.59	39,889.17	1998-99	2,744.44	**40,111.03**
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी)	1,155.21	770.37	2011-12	100.00	**1,255.21**
	38,521.80	**40,659.54**		**2,844.44**	**41,366.24**

अगला उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी, 2025)।

4.7 दिल्ली राज्य वित्त आयोग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लिए पांचवें वित्त आयोग (एफएफसी) का गठन अप्रैल 2016 में किया गया था और इसका अधिदेश 2016-2021 की अवधि के लिए था। शहरी विकास विभाग के दिनांक 26.4.2016 के आदेश के अनुसार, एफएफसी का अधिदेश नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और निम्नलिखित के संबंध में सिफारिशें करना था:

(क) सिद्धांत जो नियंत्रित करें

(i) रा.रा.क्षे.दि.स. और नगर पालिकाओं के बीच कर, शुल्क, पथकर और उद्ग्राह्य शुल्कों की निवल आय का वितरण;

(ii) नगर पालिकाओं को सौंपे जाने वाले शुल्कों, पथकर और फीसों का निर्धारण;

(iii) रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान; तथा

(ख) नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय।

चूंकि एफएफसी के अधिदेश की समाप्ति के तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी छठे वित्त आयोग (एसएफसी) का गठन नहीं किया गया था, इसलिए अभी भी एफएफसी की सिफारिशों के अनुसार निधियों का अंतरण किया जा रहा है। तथापि, रा.रा.क्षे.दि.स. के तीन मुख्य नगर निकायों[6] को एक एमसीडी में विलय कर दिया गया

[6] पूर्व डीएमसी, दक्षिण डीएमसी और उत्तर डीएमसी

(अप्रैल 2022), जिससे एफएफसी की सिफारिशें असंगत हो गईं। इसलिए एमसीडी वित्त पर नए सिरे से विचार करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा द्वारा मामला उजागर किए जाने पर शहरी विकास विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि छठे वित्त आयोग के गठन का मामला वर्तमान में उच्च अधिकारियों के विचाराधीन है।

नई दिल्ली
दिनांक: 13 मई 2025

(रोली शुक्ला माल्गे)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 15 मई 2025

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक